13/4/23

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस आशय से पेश किया की मौजा ग्राम मावल पटवार हल्का मावल में खसरा सं. 447 की 03 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं. 450 की 02 बिस्वा, 01 बीघा, खसरा सं. 448 की 02 बिस्वा व खसरा सं. 449 की 02 बीघा 07 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है।

उक्त खसरा सं. 447 व 450 की कृषि भूमि मे से ख. नं. 447 की 01 बीघा 04 बिस्वा 04 बिस्वांसी (3657.50 वर्गगज) भूमि का एवं खसरा सं. 450 की 01 बिस्वा 17 बिस्वांसी (2254.16 वर्गगज) भूमि का उसके तत्कालीन खातेदार अनाराम पुत्र सोनाराम चौहान द्वारा आवासीय रूपांतरण किया गया है जिसमे 447 के 2 खसरे 1189/447 (आवासीय) व 1190/447 (गैर आवासीय) तथा 1187/450 (आवासीय) व 1188/450 (गैर आवासीय) खसरा सं. 450 के बने तत्पश्चात उपरोक्त गैर आवासीय खसरों का भी आवासीय रूपांतरण तत्कालीन खातेदार द्वारा करवाया गया था।

प्रार्थीया ने उपरोक्त सभी आवासीय रूपांतरित खसरा नं. जरिये विक्रय विलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Govin
Bhichher
Date: 2023.06.12 17:20:
Reason: SelfAttested

(पंजीकृत) सन 2006 में क्रय किया तथा तब से प्रार्थीया उपरोक्त भूमि की एक मात्र स्वामिनि है।

प्रार्थीया ने निवेदन किया की उपरोक्त भूमि को ऑनलाइन नक्शे में खसरा सं. 447 के 04 खसरे क्रमशः 1213/447, 1189/447, 1190/447 व 1143/447 पर्द कर दिये हैं जबकि सिर्फ 2 खसरे क्रमशः 1189/447 व 1190/447 ही पर्द किये जाने थे लेकिन ऑनलाइन नक्शो मे मॉडिफिकेशन के कार्य के दौरान चूक/भूल अशुद्धि के कारण 2 अन्य खसरे जो मूल खसरे सं. 447 के न होकर खसरा नं. 447 मे पर्द हो गये जो कि उनके मूल खसरा सं. 647 मे पर्द होने चाहिए थे। तथा इसी दौरान ऑनलाइन खसरो की अवस्थिति भी गलती से उथल पुथल कर दी गई। तथा खसरा नं. 450 के दो खसरो को नक्शे मे शामिल करके तरमीम कर दिया गया है जबकि भू रूपांतरण आदेश के साथ संलग्न नक्शा अनुसार की जानी थी तथा निवेदन किया की न्यायहित मे उपरोक्त खसरा नम्बर 447 व 450 मौजा ग्राम मौलवि

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Bhichher
Date: 2023.06.12 17:20:22
Reason: SelfAttested

मे आनलाइन राजस्व नक्शे मे हुई तरमीम व खसरा इन्द्राज संबंधी त्रुटि को सुधारा जावे।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रिकार्ड किया गया व अप्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये Tdr, Abu Road को Notice जारि किये गये।

Tdr, Abu Road ने अपने पत्रांक 2023/04 दिनांक 05/04/2023 के जरिये उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब मय हल्का पटवारी की रिपोर्ट, नामांतरणकरण नकल, संपरिवर्तन आदेश व मय नक्शा व अन्य दस्तावेज पेश किये।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पैरोकार सरकार उपस्थित ने निवेदन किया की प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायहित मे होगा क्योंकि हल्का रिपोर्ट व Tdr, Abu Road की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थिया द्वारा चाहे गए इन्द्राज व तरमीम शुद्धि की अनुशंसा की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Bhichher,
Date: 2023.06.12 17:20:2
Reason: SelfAttested

मैंने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो व संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट मय दस्तावेजों का अवलोकन किया, वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम मावल, पटवार हल्का मावल मे स्थित आवासीय रूपांतरित खसरा नं. 447 (रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा) .8472 Hectare, 450 – 02 बीघा 01 बिस्वा (.5785 Hectare) 448 – 02 बिस्वा (.253 Hec.) 449 – 02 बीघा 07 बिस्वा (.5943 Hec.) प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है हालांकि भूमि का वर्गीकरण गैरमुमकिन आवासीय है परन्तु प्रार्थना पत्र मे चाही गई राहत राजस्व विभाग द्वारा ही दी जानी है और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 मे ही उक्त सुधार संबंधी प्रावधान है अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के है।

तथा प्रायः यह देखा गया है कि [illegible] रिकार्ड को ऑनलाइन करने [illegible] की लिपिकीय त्रुटियां / अशुद्धियां हुई है उन्हे सुधारना अत्यंत आवश्यक है जिसकी महत्वता पर समय समय पर माननीय राजस्व मंडल द्वारा भी जोर दिया गया है। तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Bhichher
Date: 2023.06.12 17:20:2
Reason: SelfAttested

उपरोक्त कार्यवाही summary Trial के आधार पर ही की जानी है।

उपरोक्त प्रकरण मे Tdr, Abu Road की रिपोर्ट मय हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट मे यह स्वीकार किया गया है कि वर्तमान आनलाइन जमाबंदी मे खसरा नं. 447 के 02 खसरो की जगह 04 खसरे दिखा रहे हुए है जो कि गलत व त्रुटिवश है अतः 2 खसरे सं. 1213/447 व 1143/447 को खसरा सं. 447 (447) से हटाकर खसरा सं. 647 मे तरमीम किया जाना उचित है व खसरा सं. 447 व 450 मे संलग्न प्रस्तावित तरमीम शुद्धि हेतु नक्शे मे भी सुधार किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेशित किया जाता है कि खसरा सं. 447 मे उसके मूल खसरे सं. 1189/447 व 1190/447 ही दर्शाये जावे (उनके रकबे माल मे कोई [illegible] [illegible] जावे) व अन्य खसरे 1213/447 व 1143/447 खसरा सं. 647 मे [illegible] से पूर्व नक्शे व जमाबंदी अनुसार तरमीम किया जावे (हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त 2 खसरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Bhichher
Date: 2023.06.12 17:20:22
Reason: SelfAttested

अगर 647 मे दर्ज किये जाते है तो खसरा नं. 647 का रकबा सेटलमेंट के हिसाब से पूरा होता है।

उपरोक्त खसरा नं. 447 मे नक्शे की शुद्धि भी संलग्न हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत नक्शे ट्रेस अनुसार किया जावे जो भूमि रूपांतरण अनुसार है।

खसरा नं. 450 के नक्शे को भी संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार संशोधित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपरोक्त आदेश की एक प्रति Tam, Abu Road को उक्त संशोधन हेतु free of cost प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.06.12 17:20:22 IST
Reason: SelfAttested

13/4/23

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)